संख्या-05/2016/336/18-4-2016-36(विविध)/10

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 08 मार्च,2016**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास/उच्चीकरण योजनान्तर्गत उ0प्र0 के औद्योगिक आस्थान परतापुर-मेरठ के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यांश की तृतीय किश्त की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-996/क्ल0/बजट/2015-16, दिनांक 19-02-2015 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1992/18-4-2014-36(विविध)/10, दिनांक 02-12-2014 एवं शासनादेश संख्या-373/18-4-2014-36(विविध)/10, दिनांक 17-03-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0एस0एम0ई0सी0डी0 क्लस्टर योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-टी0एम0/यू0एन0डी0/16/2014, दिनांक 10.10.2014 में प्राप्त स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार औद्योगिक आस्थान परतापुर-मेरठ के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यांश की तृतीय किश्त के रूप में रू0 49.43 लाख (रू0 उनचास लाख तैंतालिस हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा उक्त योजना हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश तथा शासन द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग तथा तुरन्त व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा एवं उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य किसी मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4- योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण्) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय - व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखा शीर्षक -"2851-ग्राम तथा लघु अद्योग-102-लघु उद्योग-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-आयोजनागत-0103-लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-05/2016/336(1)/18-4-2016,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- विकास आयुक्त, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय निर्माण भवन, 7वा फ्लोर मौलाना आजाद रोड़, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कानपुर/मेरठ ।
7- कोषाधिकारी कानपुर नगर/मेरठ
8- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।